

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड



“टीएचडीसीआईएल सीएसआर नीति”

टीएचडीसीआईएल सीएसआर
(12.06.2023 से लागू)

विषय सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.0	प्रस्तावना	1
2.0	सीएसआर अभिदृष्टि एवं लक्ष्य	1
3.0	संस्थागत तंत्र	2
3.1	बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति	2
3.2	बोर्ड स्तर से नीचे की समिति	3
4.0	योजना	4
4.1	संसाधन	4
4.2	सीएसआर कार्यक्रमों का चयन	5
4.3	अवस्थितियों एवं लाभार्थियों का चयन	7
5.0	कार्यान्वयन	7
6.0	निगरानी	8
7.0	रिपोर्टिंग	9
8.0	प्रभाव आंकलन	9
9.0	सामान्य प्रावधान	10
	अनुलग्नक-I कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियां	11
	अनुलग्नक-II बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	13

1.0 प्रस्तावना

1.1 वर्ष 2008, में टीएचडीसीआईएल ने कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की स्कीम सामुदायिक विकास(सीएमआर-सीडी) मानक कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी संबंधी नीति तैयार की थी जो वित्त वर्ष 2008-09 में स्वीकार की गई थी। अप्रैल, 2010 में डीपीई द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाने के परिणामस्वरूप टीएचडीसी सीएसआर-सीडी स्कीम-2010 शुरू की गई थी। इसके अतिरिक्त सतत विकास के संबंध में वर्ष 2012 में अलग से नीति तैयार की गई थी जो सितंबर-2011 में जारी किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित थी। पूर्वोक्त डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास दो अलग-अलग विषय समझे जाते थे और इसलिए समझौता जापन(एमओयू) के मूल्यांकन के प्रयोजन से इन पर अलग-अलग कार्रवाई की जाती थी। कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास में घनिष्ठ संबंध होने के कारण डीपीई ने अब कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सीपीएसई की सततता के बारे में 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी संयुक्त दिशानिर्देश तैयार किए हैं। समझौता जापन(एमओयू) के मूल्यांकन के प्रयोजन से सीपीएसई के निष्पादन के संबंध में निर्णय संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाएगा। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसरण में बोर्ड के अनुमोदन से टीएचडीसीआईएल सीएसआर एवं सततता नीति-2013 जारी की गई थी।

1.2 कंपनी अधिनियम, 2013 अगस्त, 2013 में अधिनियमित हुआ और कंपनी अधिनियम के भाग-135 में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का उल्लेख है जो सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू हैं। वे कंपनियां जो सकल आय, टर्नओवर या सकल लाभ की बिक्री की सीमाओं के आधार पर पात्रता मापदंड के अंतर्गत आती हैं जैसा की कंपनी अधिनियम के भाग 135(1) में दिया गया है, उन्हें सीएसआर गतिविधियां संचालित करने की आवश्यकता होगी। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी नियम(कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) 2014, 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा। डीपीई ने 01 अगस्त, 2016 के ओएम के माध्यम से भी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

1.3 कंपनी अधिनियम एवं सीएसआर नियमों की अपेक्षानुसार सभी कंपनियां सकल आय टर्नओवर या सकल लाभ की बिक्री की सीमाओं के आधार पर कंपनी अधिनियम की अनुसूची-VII में यथानिर्दिष्ट संचालित की जाने वाली गतिविधियों के लिए बोर्ड के अनुमोदन से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्माण करेगी। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार भी सभी सीपीएसई को निदेशक मंडल के अनुमोदन से कंपनी की सीएसआर एवं सततता नीति अंगीकार करनी होगी। इस नीति के जारी होने के साथ ही टीएचडीसी सीएसआर एवं सततता नीति-2021 बोर्ड के अनुमोदन से जारी रखी गई है।

2.0 सीएसआर अभिदृष्टि एवं लक्ष्य

2.1 सीएसआर अभिदृष्टि

सामाजिक रूप से उत्तरदायी कारपोरेट, समाज एवं समुदाय में मूल्य निर्माण को निरंतर बढ़ाना तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करना।

2.2 लक्ष्य

- परस्पर संचार के माध्यम से प्रमुख हितधारकों के साथ संबंध आधारित सतत मूल्य स्थापित करना।
- मानवीय दृष्टिकोण के साथ सीएसआर कार्यक्रम संचालित करना।
- हितधारकों के साथ सीएसआर एवं सततता पहलों को पारदर्शिता के साथ सहभागिता करना।
- आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय सतत तरीके से अपना व्यवसाय चलाने के लिए संगठन में सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता बढ़ाया जाना सुनिश्चित करना।
- इसके कार्य के केंद्रों में तथा उनके आस-पास समुदायों के लाभ हेतु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सीएसआर कार्यक्रम संचालित करना तथा जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय जनता की जीवन की गुणवत्ता एवं आर्थिक भलाई में वृद्धि हो सके।
- समाज के वंचित, दबे कुचले, तिरस्कृत एवं कमजोर तबकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समेकित विकास को प्रोत्साहित करना।
- हितधारकों के मध्य सीएसआर पहलों के माध्यम से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की अच्छाई एवं गौरव उत्पन्न करना और कारपोरेट इकाई के रूप में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सकारात्मक एवं सामाजिक जिम्मेदारी की छवि को सुदृढ़ करने में सहायता करना।

3.0 संगठनात्मक तंत्र

3.1 बोर्ड स्तरीय सीसीआर समिति

- 3.1.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (1) के क्रम में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की बोर्ड स्तर पर गठित की गई कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति(सीएसआर समिति) होगी। सीएसआर समिति समिति के अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक का चयन करेगी। कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव होंगे।
- 3.1.2 सीएसआर समिति कंपनी की सीएसआर नीति जिसमें कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII से संबंधित टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियां एवं उन पर व्यय होने वाली राशि इंगित हो, का निर्माण करेगी और बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ संस्तुति करेगी।
- 3.1.3 सीएसआर समिति सीएसआर नीति की समय-समय पर निगरानी करेगी और कंपनी के सीएसआर कार्यक्रम का मार्गदर्शन करेगी ।
- 3.1.4 सीएसआर समिति बोर्ड द्वारा निर्धारित या किसी विधि या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या और आवृत्ति के अध्यधीन जितनी बार आवश्यक हो बैठक करेगी।

.....;

** नीति में प्रयोग किए गए सीएसआर कार्यक्रम में सीएसआर परियोजनाएं एवं सीएसआर गतिविधियां शामिल हैं

3.1.5 कंपनी की सीएसआर नीति के अनुपालन में सीएसआर समिति एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और बोर्ड को अनुशंसा करेगी, जिसमें निम्नलिखित तथ्य शामिल होंगे:

(क) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची जिन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में क्रियान्वित करने की मंजूरी दी गई है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देश जैसे बिंदु संख्या 5.0 में निर्दिष्ट हैं;

(ग) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निधि के उपयोग के दिशा-निर्देश और कार्यान्वयन की अनुसूची;

(घ) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग क्रियाविधि; और

(ङ) कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यक और प्रभावी मूल्यांकन का विवरण, यदि कोई हो:

बशर्ते कि बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, सीएसआर समिति की अनुशंसा के अनुसार, उसके अनुपालन में उचित औचित्य के आधार पर ऐसी योजना में बदलाव कर सकता है।

3.2 बोर्ड स्तर से नीचे की समिति

3.2.1 कारपोरेट कार्यालय में सीएसआर प्रकार्य का प्रमुख अधिकारी नामोनिर्दिष्ट नोडल अधिकारी होगा जो बोर्ड स्तर के नीचे की समिति(बीबीएलसी) की अध्यक्षता करेगा। बीबीएलसी के अन्य सदस्य सीएसआर समिति के द्वारा निर्णित विभिन्न विभागों/यूनिटों अर्थात् सामाजिक एवं पर्यावरण, वित्त इकाई से लिए जाएंगे, जैसा सीएसआर समिति निर्धारत करे। संगठन के बाहर से सीएसआर एवं सततता विकास के क्षेत्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ भी सेवा-टीएचडीसी के कार्यो सहित बीबीएलसी में नामोनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

3.2.2 बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति में नोडल अधिकारी स्थाई विशेष आमंत्रिती होंगे।

3.2.3 नोडल अधिकारी के पास समन्वय कार्य में उनकी सहायता करने के लिए अधिकारियों की एक टीम होगी। नोडल अधिकारी की सहायता करने के लिए टीम की संरचना सीएसआर के निदेशक प्रभारी के द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से परामर्श कर की जाएगी

3.2.4 बीबीएलसी पूरे सीएसआर कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी होगी तथा इसके प्रकार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

- सीएसआर कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करना, स्थान, प्रत्येक कार्यक्रम का प्राक्कलन एवं वार्षिक बजट तैयार करना एवं इसे सीएसआर समिति एवं बोर्ड के अनुमोदन के लिए विचारार्थ प्रस्तुत करना।
- सीएसआर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं निगरानी।
- बेसलाइन / आवश्यकता आंकलन सर्वेक्षण एवं पूर्ण हो गए कार्यक्रमों का प्रभाव मूल्यांकन।
- सीएसआर समिति के माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखी जाने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

4.0 नियोजन

4.1 संसाधन

4.1.1 टीएचडीसीआईएल प्रति वर्ष यह सुनिश्चित करेगी कि तत्काल तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ² का कम से कम 2% उसकी सीएसआर नीति के अनुपालन में व्यय किया जाएगा।

यदि कंपनी इतनी राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारण प्रस्तुत करने होंगे और, खर्च न की गई राशि बिंदु संख्या 4.2.3, में निर्दिष्ट किसी चालू परियोजना से संबंधित नहीं होनी चाहिए एवं इस प्रकार की खर्च न की गई राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करना होगा।

यदि कंपनी बिंदु संख्या 4.2.3 में वर्णित किसी चालू परियोजना के लिए निर्धारित ऐसी राशि खर्च करने में **विफल रहती है तो कंपनी द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुपालन में किया गया खर्च**, वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी द्वारा उस वित्तीय वर्ष के लिए खोले जाने वाले एक विशेष खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसे किसी भी अनुसूचित बैंक में अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता कहा जाएगा, और ऐसी राशि कंपनी के दिशा-निर्देश के अनुसार खर्च की जाएगी। ऐसे हस्तांतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह न करने पर, कंपनी इसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर देगी।

यदि कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत प्रदान की गई आवश्यकताओं से अधिक राशि खर्च करती है (जिसमें सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष शामिल नहीं होगा), तो कंपनी ऐसी अतिरिक्त राशि को कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत खर्च करने की आवश्यकता के सापेक्ष तीन तत्काल सफल वित्तीय वर्षों तक समायोजित कर सकती है, बशर्ते बोर्ड इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करे।

2 शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम की धारा 198 के अनुसार की जाएगी, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 2(ज) के साथ पढ़ें

4.1.2 कम से कम तीन वित्तीय वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड वाले संस्थानों के माध्यम से कंपनी के सीएसआर प्रभाग के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, सेमिनार, सम्मेलन जैसे क्षमता विकास पर किया जाने वाला व्यय सीएसआर व्यय के रूप में मान्य होगा। सीएसआर व्यय के अंतर्गत क्षमता विकास पर प्रशासनिक ओवरहेड्स भी शामिल हैं, किसी भी वर्ष कुल सीएसआर व्यय के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

4.1.3 बजट और वार्षिक सीएसआर योजना को सीएसआर समिति की अनुशंसा पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

4.1.4 प्रशासनिक ओवरहेड्स में कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत 'सामान्य प्रबंधन और प्रशासन' के लिए किए गए खर्च शामिल होंगे, लेकिन किसी विशेष कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी परियोजना कार्यक्रम के डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सीधे किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे। ऐसे प्रशासनिक ओवरहेड्स वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सीएसआर व्यय के 5% से अधिक नहीं होंगे।

4.2 सीएसआर कार्यक्रमों का चयन

4.2.1 सीएसआर कार्यक्रमों का चयन अनुलग्नक-1 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथा निर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित होना चाहिए। अनुसूची- VII में प्रविष्टियां उदारतापूर्वक परिभाषित होनी चाहिए ताकि विषयों के सार को समझा जा सके।

4.2.2 सीएसआर कार्यक्रमों के निष्पादन के मूल भाव को दृष्टिगत रखते हुए टीएचडीसीआईएल की सीएसआर गतिविधियों का शीर्षक "टीएचडीसी सहृदय" (मानवीय हृदय के साथ कारपोरेट) होगा। टीएचडीसीआईएल सीएसआर कार्यक्रम संचालित करने के लिए फोकस किए गए क्षेत्रों का शीर्षक उनके उद्देश्य के द्वारा निम्नानुसार दिया जाता है:

- i. टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य)- पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा पेयजल परियोजनाएं
- ii. टीएचडीसी जागृति(सफल भविष्य के लिए पहल) शिक्षा पहल
- iii. टीएचडीसी दक्ष (कौशलता) आजीविका उत्पादन एवं कौशलता विकास पहल
- iv. टीएचडीसी उत्थान(प्रगति) ग्रामीण विकास
- v. टीएचडीसी समर्थ(सशक्तिकरण) सशक्तिकरण पहल
- vi. टीएचडीसी सक्षम(सक्षम) वृद्ध एवं विकलांगों की सुरक्षा
- vii. टीएचडीसी प्रकृति(पर्यावरण) पर्यावरण सुरक्षा पहल
- viii. टीएचडीसी विरासत (संस्कृति)- कला एवं संस्कृति संरक्षण एवं प्रोत्साहन पहल
- ix. टीएचडीसी क्रीड़ा(खेल)- खेल-कूद प्रोत्साहन पहल

4.2.3 जितना अधिक संभव हो, सीएसआर कार्यक्रम परियोजना तरीके से संचालित किए जाएंगे जिसके लिए निष्पादन के चरणों की योजना बनाना, लक्ष्य नियत करना, आवंटित बजट के भीतर आवश्यक संसाधन और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए निश्चित समयावधि होती है। आसान कार्यान्वयन के लिए दीर्घावधि सीएसआर योजनाओं को मध्यावधि एवं लघुवधि(अधिकतम एक वर्ष की अवधि) योजनाओं में रूपांतरित किया जाएगा। कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए शुरू की गई एक बहु-वर्षीय परियोजना, जिसकी समय-सीमा उस वित्तीय वर्ष को छोड़कर तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें इसे प्रारंभ किया गया था, और इसमें ऐसी परियोजना शामिल होगी जिसे शुरू में बहु-वर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था, लेकिन जिसकी अवधि उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड द्वारा एक वर्ष से अधिक बढ़ा दी गई है, उसे 'चालू परियोजनाओं' के रूप में माना जाएगा।

4.2.4 यदि आवश्यक हो, तो टीएचडीसीआईएल के सीएसआर कार्यक्रम संचालित करने के लिए अन्य कंपनियों/सीपीएसयूएस के साथ संयोजन करेगी और अधिक सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव के लिए संसाधनों एवं क्षमताओं को एक दूसरे के साथ बांटेगी। अन्य कंपनियों के साथ संयोजन इस प्रकार किया जाएगा की टीएचडीसीआईएल सीएसआर नियमों के अनुसार ऐसे कार्यक्रमों को अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हो।

4.2.5 सीएसआर कार्यक्रम कंपनी की व्यापारिक नीतियों एवं रणनीतियों के साथ संरक्षित होंगे और ऐसे कार्यक्रमों का चयन किया जाएगा जो इनहाउस विशेषज्ञता के माध्यम से बेहतर रूप से कार्यान्वित किए जा सकें/निगरानी की जा सके। जिससे सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रमुख सक्षमताओं एवं संसाधन क्षमता का दोहन हो सके।

4.2.6 बोर्ड के द्वारा अनुमोदित "टीडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति" में कंपनी के द्वारा संचालित की जाने वाली/संचालित की गई सीएसआर पहलओं के संबंध में विचारों एवं सुझावों के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ निरंतर संचार करना परिकल्पित है। हालांकि, सीएसआर गतिविधियों के चयन एवं कार्यान्वयन में अंतिम निर्णय बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति का होगा।

4.3 स्थानों एवं लाभार्थियों का चयन

4.3.1 सीएसआर गतिविधियों के स्थानों का चयन करने में स्थानीय क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी। इस उद्देश्य से स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा निम्नानुसार होगी:-

क्रम सं	श्रेणी	स्थानीय क्षेत्र
क	स्थापना / कार्यालय	10 किमी की परिधि के भीतर का क्षेत्र
ख	जल विद्युत परियोजनाएं	परियोजना घटकों के अंतर्गत आने वाले सभी विकास क्षेत्र
ग	तापीय परियोजनाएं	50 किमी की परिधि के भीतर का क्षेत्र
घ	पवन/सौर परियोजनाएं	10 किमी की परिधि के भीतर का क्षेत्र
ङ	पुनर्स्थापन /विस्थापित स्थल	इस प्रकार के स्थल की भौगोलिक सीमाएं
च	कोयला खदान	दुलाई कार्य सहित कोयला खदान/स्थल के अंतर्गत आने वाले सभी विकास क्षेत्र

4.3.2 वार्षिक सीएसआर बजट का कम से कम 65% स्थानीय क्षेत्र एवं कंपनी के व्यापारिक प्रचालनों एवं गतिविधियों से सीधे तौर पर प्रभावित हितधारकों के लिए संचालित किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया जाएगा

4.3.3 स्थानीय क्षेत्र को वरीयता देने के बाद, टीएचडीसीआईएल देश में किसी भी जगह सीएसआर कार्यक्रम संचालित करेगी

4.3.4 किसी भी सीएसआर कार्यक्रम के चयन के लिए बेसलाइन/आवश्यकता आंकलन सर्वेक्षण वांछनीय होगा। सभी मामलों में बेसलाइन सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, यदि स्वयं के संसाधनों से या किसी विशेषज्ञ एजेंसी से आवश्यकता आंकलन कराने के पर्याप्त दस्तावेज प्रमाण हों या मान्यता प्राप्त प्राधिकार द्वितीयक श्रोत से इस संबंध में विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो।

5.0 कार्यान्वयन

5.1 सीएसआर कार्यक्रम मुख्यतः दो कंपनी प्रायोजित/स्थापित पंजीकृत समितियों, सेवा- टीएचडीसी और टीएचडीसी शिक्षा समिति(टीईएस) के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे। सीएसआर कार्यक्रम टीएचडीसी की परियोजना/यूनिटों के द्वारा भी संचालित किए जा सकते हैं।

5.2 टीएचडीसीआईएल सीधे कंपनी की परियोजनाओं/यूनिटों एवं उनकी मानव शक्ति एवं संसाधनों के माध्यम से सीधे सीएसआर गतिविधि का कार्यान्वयन कर सकती है यदि वह महसूस करती है कि वह ऐसे कार्यक्रमों को निष्पादित करने की संगठनात्मक क्षमता रखती है।

5.3 सीएसआर कार्यक्रम अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से भी किए जा सकते हैं, जिन्हें धारा 10 के खंड (23सी) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (के माध्यम से) के तहत छूट दी गई है तथा धारा 12 ए के तहत पंजीकृत किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 80जी के तहत अनुमोदित किया गया है। टीएचडीसीआईएल द्वारा अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ स्थापित किया गया है। या अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित पंजीकृत³ ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी; या संसद या राज्य विधायिका के अधिनियम के तहत स्थापित कोई इकाई,

³इकाई' शब्द का अर्थ अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों को करने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक निकाय होगा ।

या अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या धारा 10 के खंड (23 सी) के, उप-खंड (iv), (v), (vi) के तहत छूट प्राप्त है या (के माध्यम से) या धारा 12 ए के तहत पंजीकृत सोसायटी और आयकर अधिनियम, 1961 के 80 जी के तहत अनुमोदित, और समान गतिविधियों को करने में कम से कम तीन साल का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। टीएचडीसीआईएल इन संस्थाओं के माध्यम से किए जाने वाले कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रमों पर धन के उपयोग के तौर-तरीके और रिपोर्टिंग तंत्र के संबंध में निर्दिष्ट करेगी।

- 5.4 जब भी वाह्य एजेंसियों के साथ संलग्नता एवं भागीदारी हो तो उनकी साख का ध्यान रखा जाएगा ताकि केवल विश्वसनीय, विशेषज्ञ एजेंसियां जो कि सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विशेषज्ञता एवं आवश्यक क्षमताएं रखती हों, उन्हीं का चयन किया जाएगा।
- 5.5 वाह्य विशेषज्ञ एजेंसियों को संलग्न करना की टीएचडीसीआईएल के विवेक पर है लेकिन सरकारी मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्तशासी संस्थानों या राष्ट्रीय/स्थानीय सीएसआर हब के द्वारा बनाई गई ऐसी एजेंसियों के उपलब्ध पैनल में जुटी को वरीयता दी जाएगी।
- 5.6 सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विशेष ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता होती है जिसके लिए वाह्य एजेंसियों की सेवाएं ली जा सकती हैं। कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के डिजाइन, निगरानी और मूल्यांकन के साथ-साथ सीएसआर के लिए अपने स्वयं के कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भी शामिल कर सकती है।
- 5.7 किसी भी सीएसआर गतिविधि को करने के लिए कंपनी द्वारा पहचानी/चयनित प्रत्येक इकाई को फॉर्म सीएसआर-1 के माध्यम से केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत किया जाएगा और उसके पास 01 अप्रैल, 2021 से मान्य विशिष्ट सीएसआर पंजीकरण संख्या होगी।

6.0 निगरानी

- 6.1 सीएसआर कार्यक्रमों की निगरानी योजना बनाम प्रगति पर पहुंचने के कार्यान्वयन के अनुरूप होगी।
- 6.2 संचालित किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों का पारदर्शी एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के द्वारा एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र बनाया जाएगा जिसमें निम्नलिखित संकेतांकों का प्रयोग कर विभिन्न स्तरों पर आवधिक निगरानी की जाएगी।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट
 - तिमाही प्रगति रिपोर्ट
 - वीडियो कांफ्रेंसिंग
 - परियोजना स्थल दौरे
 - फोटोग्राफ, फिल्म एवं वीडियो सहित दस्तावेजी सबूत
 - अन्य इनहाउस निगरानी तंत्र जो कि सीएसआर समिति द्वारा निर्धारित किए जाएं
 - हित के टकराव को दूर करने के लिए पूरी सुरक्षा के साथ निगरानी हेतु तृतीय पक्ष को सम्मिलित किया जा सकता है

- 6.3 चल रही परियोजना के मामले में, कंपनी का बोर्ड अनुमोदित समयसीमा और वर्ष-वार आवंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और समग्र रूप से परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अनुमत समयावधि में संशोधन करने में सक्षम होगा।, यदि कोई हो,
- 6.4 कंपनी का बोर्ड स्वयं को संतुष्ट करेगा कि इस प्रकार वितरित धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और तरीके से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा।

7.0 रिपोर्टिंग

- 7.1 मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशक प्रभारी, सीएसआर को प्रस्तुत की जाएगी
- 7.2 सीएसआर तिमाही प्रगति रिपोर्ट बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति के द्वारा विचार करने के बाद बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी
- 7.3 वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक 2 में निर्दिष्ट विवरणों के साथ सम्मिलित होगी और इसे टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर भी डिस्प्ले किया जाएगा

8.0 प्रभाव आंकलन

01 करोड़ रुपए या उससे ऊपर के सभी पूर्ण हुए सीएसआर कार्यक्रम का प्रभाव आंकलन एक वर्ष के भीतर विशेषज्ञ वाह्य एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। प्रभाव आंकलन रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी एवं सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुलग्न की जाएगी। प्रभाव आंकलन करने पर होने वाले व्यय को उस वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के व्यय के रूप में दर्ज किया जाएगा, जो उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय का दो प्रतिशत या पचास लाख रुपये, जो भी उच्च हो, से अधिक नहीं होगा।

9.0 सामान्य प्रावधान

- 9.1 टीएचडीसीआईएल सभी सीएसआर गतिविधियां एवं कार्यक्रम निष्पादित करेगी, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों, सीएसआर नियम और इसके बाद के स्पष्टीकरणों एवं संशोधनों जैसा कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय/लोक उपक्रम विभाग द्वारा अधिसूचित के अनुसार संरेखित/आधारित है
- 9.2 सीएसआर समिति की संस्तुतियों के आधार पर बोर्ड के अनुमोदन से एक वर्ष की अवधि के दौरान यदि आवश्यक हो, तो वार्षिक सीएसआर योजना में पहले से ही समाविष्ट सीएसआर गतिविधियों के अतिरिक्त नए सीएसआर कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं
- 9.3 सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों में से आने वाला अधिशेष कंपनी के व्यापार के लाभ के भाग का निर्माण नहीं करेगा एवं और वापस उसी परियोजना में लगा दिया जाएगा या अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया जाएगा एवं कंपनी की सीएसआर नीति और वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में खर्च किया जाएगा या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर ऐसी अधिशेष राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किया जाएगा।
- 9.4 मैराथन/अवार्ड/चैरीटेबिल अंशदान/विज्ञापन/टीवी कार्यक्रम में प्रायोजक आदि सीएसआर व्यय के भाग के रूप में अर्ह नहीं होगा।
- 9.5 अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की राशि में अंशदान पर सीएसआर गतिविधि के समान विचार नहीं किया जाएगा।
- 9.6 सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधियां जो केवल टीएचडीसीआईएल के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभ के लिए हों उन पर सीएसआर गतिविधियों के समान विचार नहीं किया जाएगा
- 9.7 केवल भारत में संचालित किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों पर ही आवश्यक 02% व्यय के उद्देश्य से विचार किया जाएगा । हालाँकि, भारत के बाहर भारतीय खेल कर्मियों का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या भारत का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उक्त व्यय करने की अनुमति होगी।
- 9.8 टीएचडीसीआईएल की प्रत्येक सीएसआर परियोजना/कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले एजेंसी टीएचडीसीआईएल आचार नीति एवं सचेतक नीति के प्रावधानों से बंधी होगी

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक
उत्तरदायित्व के अंतर्गत संचालित की जा सकने वाली समय-समय पर यथा संशोधित गतिविधियां

- I भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन सुरक्षात्मक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित स्वच्छता तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- II विशेषतया बच्चों, महिलाओं प्रोढ़ तथा विशेष योग्य व्यक्तियों के मध्य विशेष शिक्षा एवं रोजगार परक व्यवसायिक कुशलता सहित शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं आजीविका वृद्धि परियोजनाएं।
- III लिंग समानता को प्रोत्साहित करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं एवं अनार्यों के लिए घर एवं अस्पताल बनाना, वृद्धाश्रम एवं दिन के लिए सुरक्षा केंद्र बनाना एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के द्वारा सामना की जा रही, असामनता को कम करने के उपाय एवं सीनियर सिटीजन के लिए अन्य ऐसी सुविधा।
- IV पर्यावरणीय सततता, पारिस्थितिकी संतुलन, जीवों एवं पादपों का संरक्षण पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मृदा, गंगा नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित क्लीन गंगा निधि में अंशदान सहित पवन एवं जल की गुणवत्ता बनाना।
- V ऐतिहासिक महत्व के भवनों एवं स्थानों के पुनर्स्थापन सहित प्राकृतिक विरासत, कला एवं संस्कृति की सुरक्षा। जन-पुस्तकालय स्थापित करना, परंपरागत कला एवं हैंडीक्राफ्ट को प्रोत्साहित करना एवं विकास करना।
- VI सशस्त्र बलों के जवानों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के जवानों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय करना।
- VII ग्रामीण राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भारतीय पैरालंपिक एवं ओलंपिक स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण।
- VIII सामाजिक, आर्थिक विकास एवं सहायता तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं जनजातीय अन्य पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष एवं अन्य कोर्स में अंशदान।
- IX (क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान तथा
(ख) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और स्वायत्त निकाय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान, और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), फार्मास्यूटिकल्स विभाग, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य निकाय मंत्रालय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे हुए हैं, को योगदान दिया जा सकता है।

X ग्रामीण विकास परियोजनाएं।

XI सलम क्षेत्र का विकास।

व्याख्या: सलम क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे किसी क्षेत्र से है जो कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा किसी विधि के तहत घोषित किया गया है एवं लागू हो।

xii. आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं।

उपरोक्त प्रविष्टियों को अनुसूची VII में 24.08.2020 तक अधिसूचित संशोधनों को शामिल करते हुए अद्यतन किया गया है और सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूची -VII में परिवर्तन के साथ समय-समय पर संशोधन के अधीन होगा।

01. अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।
2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक का पदनाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं:-
4. यदि लागू हो, तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आंकलन के वेब-लिंक के साथ क्रियान्वयन सारांश प्रदान करें।
5. (क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।
(ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।
(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो।
(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)-(घ)]।
6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजना और चालू परियोजना के अलावा दोनों)।
(ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स में व्यय की गई राशि।
(ग) प्रभाव आंकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो।
(घ) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]।
(ङ) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई एवं अव्ययित कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]।

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि(₹.)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में धनराशि हस्तांतरित नहीं की जाएगी।		
	राशि .	हस्तांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि

(च) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई है:

क्रम सं.	विवरण	राशि(रु.में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के शुद्ध लाभ का 02 प्रतिशत	
(ii)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि	
(iii)	वित्तीय वर्ष [(ii)-(i)] में व्यय की गई अतिरिक्त राशि	
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों [(iii)-(iv)] में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि	

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	विगत वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु.में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)	क मी यदि कोई हो
					राशि (रु.में)	हस्तांतरित की तिथि	
1	वि.वर्ष-1						
2	वि.वर्ष -2						
3	वि.वर्ष -3						

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई या अर्जित की गई है:

हां नहीं

यदि हां, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.स	कमी संपत्ति या परिसम्पत्ति विवरण	संपत्ति या परिसम्पत्ति का पिनकोड	अर्जन की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी के लाभार्थी इकाई/प्राधिकरण का विवरण		
(1)	(2) सहित	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएस आर	नाम	पंजीकृत पता
					पंजीकरण संख्या, यदि		

(सभी कॉलम को राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाए अनुसार जैसे, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय / नगर निगम / ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें।

हस्ताक्षर/- (मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक).	हस्ताक्षर/- (अध्यक्ष, सीएसआर समिति).	हस्ताक्षर/- [धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां भी लागू हो).
---	--	---